संख्या-74/2019/964/सैंतीस-2-2019-1(21)/12

प्रेषक,

डॉ0 सुधीर एम. बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
(संलग्न विवरणानुसार)
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-22 मई, 2019

विषयः- **पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जि.यो.) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 के पत्र सं0-06/सा0-1/एक्स-120(187)/जि.यो./2019-20, दिनांक-04.04.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जिला योजनान्तर्गत स्वीकृत 192 पशु चिकित्सा अधिकारियों के पदों के सापेक्ष कार्यरत पशु चिकित्सा अधिकारियों के 04 माह के वेतनादि के भुगतान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-06-पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जिला योजना) के अन्तर्गत निम्नलिखित मानक मदों में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष संलग्न जनपदवार विवरणानुसार रू0-312.83 लाख (रूपये तीन करोड़ बारह लाख तिरासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैः-

मानक मद	**स्वीकृत धनराशि (लाख में)**
01-वेतन	273.85
03-मंहगाई भत्ता	32.86
06-अन्य भत्ते	6.12
योग-	**312.83**

(रूपये तीन करोड़ बारह लाख तिरासी हजार मात्र)

1. चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु जिला योजनाओं के अन्तर्गत जनपदवार/योजनावार परिव्यय निर्धारण के उपरान्त उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि को आवंटित परिव्यय में समायोजित कराते हुए यथावश्यकता सम्बन्धित जनपदों की जिला योजना समिति का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय, यह सुनिश्चित किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा।
2. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं मदों में योजना हेतु निर्धारित गाइडलाईन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए ही किया जायेगा।
3. स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन/मद में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग/संबंधित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी का होगा।
4. किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में न जमा किया जाय तथा आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
6. वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता संबंधी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक-22.03.2019 में दिये गये निर्देशों तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दि0-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-06-पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जिला योजना) की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक-22.03.2019 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक - यथोक्त।

भवदीय,

(डॉ0 सुधीर एम. बोबडे)
प्रमुख सचिव।

<u>पृ0सं0-74/2019/964(1)/सैंतीस-2-2019- तद्दिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/जिलाधिकारी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 प्रहलाद बरनवाल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-74/2019/964/सैंतीस-2-2019-1(21)/12, दिनांक-22 मई, 2019 का संलग्नक:-

पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जिला योजना) (वर्ष 2019-20) (धनराशि लाख में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	01-वेतन	03-मंहगाई भत्ता	06-अन्य भत्ते	योग
1	2	3	4	5	6
1	अलीगढ़	15.000	1.800	0.850	17.650
2	प्रयागराज	2.000	0.240	0.050	2.290
3	औरैया	5.000	0.600	0.150	5.750
4	बलरामपुर	2.000	0.240	0.000	2.240
5	बलिया	5.000	0.600	0.080	5.680
6	बरेली	8.500	1.020	0.220	9.740
7	बस्ती	2.750	0.330	0.070	3.150
8	संत रविदास नगर	5.000	0.600	0.000	5.600
9	बिजनौर	2.800	0.336	0.010	3.146
10	बुलन्दशहर	5.250	0.630	0.120	6.000
11	चन्दौली	3.000	0.360	0.040	3.400
12	चित्रकूट	4.750	0.570	0.120	5.440
13	अमेठी	2.000	0.240	0.010	2.250
14	एटा	37.000	4.440	0.930	42.370
15	इटावा	2.250	0.270	0.010	2.530
16	फर्रूखाबाद	9.000	1.080	0.250	10.330
17	फतेहपुर	3.300	0.396	0.100	3.796
18	फिरोजाबाद	5.000	0.600	0.000	5.600
19	गौतमबुद्धनगर	3.000	0.360	0.000	3.360
20	गाजीपुर	14.000	1.680	0.400	16.080
21	गोरखपुर	3.600	0.432	0.010	4.042
22	हरदोई	13.500	1.620	0.440	15.560
23	हाथरस	14.200	1.704	0.010	15.914
24	अमरोहा	3.200	0.384	0.010	3.594

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

25	जौनपुर	2.200	0.264	0.060	2.524
26	कानपुर देहात	0.600	0.072	0.020	0.692
27	कासगंज	11.000	1.320	0.210	12.530
28	लखनऊ	2.250	0.270	0.010	2.530
29	महोबा	10.000	1.200	0.300	11.500
30	मैनपुरी	19.000	2.280	0.570	21.850
31	मथुरा	2.000	0.240	0.010	2.250
32	मऊ	2.200	0.264	0.100	2.564
33	मेरठ	4.000	0.480	0.200	4.680
34	मिर्जापुर	5.000	0.600	0.010	5.610
35	मुरादाबाद	2.350	0.280	0.140	2.770
36	मुजफ्फरनगर	1.800	0.216	0.010	2.026
37	रायबरेली	7.150	0.858	0.000	8.008
38	रामपुर	0.900	0.108	0.000	1.008
39	हमीरपुर	3.250	0.390	0.090	3.730
40	संतकबीरनगर	2.150	0.258	0.000	2.408
41	शाहजहांपुर	0.950	0.114	0.010	1.074
42	सुल्तानपुर	8.150	0.978	0.020	9.148
43	सोनभद्र	6.350	0.762	0.120	7.232
44	उन्नाव	8.750	1.050	0.290	10.090
45	वाराणसी	2.700	0.324	0.070	3.094
योग-		**273.850**	**32.860**	**6.120**	**312.830**

(रूपये तीन करोड़ बारह लाख तिरासी हजार मात्र)

(डा0 प्रहलाद बरनवाल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-74/2019/964/सैंतीस-2-2019-1(21)/12

प्रेषक,

डॉ0 सुधीर एम. बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
(संलग्न विवरणानुसार)
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-22 मई, 2019

विषयः- **पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जि.यो.) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 के पत्र सं0-06/सा0-1/एक्स-120(187)/जि.यो./2019-20, दिनांक-04.04.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जिला योजनान्तर्गत स्वीकृत 192 पशु चिकित्सा अधिकारियों के पदों के सापेक्ष कार्यरत पशु चिकित्सा अधिकारियों के 04 माह के वेतनादि के भुगतान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-06-पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जिला योजना) के अन्तर्गत निम्नलिखित मानक मदों में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष संलग्न जनपदवार विवरणानुसार रू0-312.83 लाख (रूपये तीन करोड़ बारह लाख तिरासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैः-

मानक मद	**स्वीकृत धनराशि (लाख में)**
01-वेतन	273.85
03-मंहगाई भत्ता	32.86
06-अन्य भत्ते	6.12
योग-	**312.83**

(रूपये तीन करोड़ बारह लाख तिरासी हजार मात्र)

1. चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु जिला योजनाओं के अन्तर्गत जनपदवार/योजनावार परिव्यय निर्धारण के उपरान्त उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि को आवंटित परिव्यय में समायोजित कराते हुए यथावश्यकता सम्बन्धित जनपदों की जिला योजना समिति का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय, यह सुनिश्चित किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा।
2. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं मदों में योजना हेतु निर्धारित गाइडलाईन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए ही किया जायेगा।
3. स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन/मद में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग/संबंधित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी का होगा।
4. किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में न जमा किया जाय तथा आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
6. वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता संबंधी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक-22.03.2019 में दिये गये निर्देशों तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दि0-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-06-पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जिला योजना) की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक-22.03.2019 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक - यथोक्त।

भवदीय,

(डॉ0 सुधीर एम. बोबडे)
प्रमुख सचिव।

<u>पृ0सं0-74/2019/964(1)/सैंतीस-2-2019- तद्दिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/जिलाधिकारी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 प्रहलाद बरनवाल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-74/2019/964/सैंतीस-2-2019-1(21)/12, दिनांक-22 मई, 2019 का संलग्नक:-

पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जिला योजना) (वर्ष 2019-20) (धनराशि लाख में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	01-वेतन	03-मंहगाई भत्ता	06-अन्य भत्ते	योग
1	2	3	4	5	6
1	अलीगढ़	15.000	1.800	0.850	17.650
2	प्रयागराज	2.000	0.240	0.050	2.290
3	औरैया	5.000	0.600	0.150	5.750
4	बलरामपुर	2.000	0.240	0.000	2.240
5	बलिया	5.000	0.600	0.080	5.680
6	बरेली	8.500	1.020	0.220	9.740
7	बस्ती	2.750	0.330	0.070	3.150
8	संत रविदास नगर	5.000	0.600	0.000	5.600
9	बिजनौर	2.800	0.336	0.010	3.146
10	बुलन्दशहर	5.250	0.630	0.120	6.000
11	चन्दौली	3.000	0.360	0.040	3.400
12	चित्रकूट	4.750	0.570	0.120	5.440
13	अमेठी	2.000	0.240	0.010	2.250
14	एटा	37.000	4.440	0.930	42.370
15	इटावा	2.250	0.270	0.010	2.530
16	फर्रूखाबाद	9.000	1.080	0.250	10.330
17	फतेहपुर	3.300	0.396	0.100	3.796
18	फिरोजाबाद	5.000	0.600	0.000	5.600
19	गौतमबुद्धनगर	3.000	0.360	0.000	3.360
20	गाजीपुर	14.000	1.680	0.400	16.080
21	गोरखपुर	3.600	0.432	0.010	4.042
22	हरदोई	13.500	1.620	0.440	15.560
23	हाथरस	14.200	1.704	0.010	15.914
24	अमरोहा	3.200	0.384	0.010	3.594

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

25	जौनपुर	2.200	0.264	0.060	2.524
26	कानपुर देहात	0.600	0.072	0.020	0.692
27	कासगंज	11.000	1.320	0.210	12.530
28	लखनऊ	2.250	0.270	0.010	2.530
29	महोबा	10.000	1.200	0.300	11.500
30	मैनपुरी	19.000	2.280	0.570	21.850
31	मथुरा	2.000	0.240	0.010	2.250
32	मऊ	2.200	0.264	0.100	2.564
33	मेरठ	4.000	0.480	0.200	4.680
34	मिर्जापुर	5.000	0.600	0.010	5.610
35	मुरादाबाद	2.350	0.280	0.140	2.770
36	मुजफ्फरनगर	1.800	0.216	0.010	2.026
37	रायबरेली	7.150	0.858	0.000	8.008
38	रामपुर	0.900	0.108	0.000	1.008
39	हमीरपुर	3.250	0.390	0.090	3.730
40	संतकबीरनगर	2.150	0.258	0.000	2.408
41	शाहजहांपुर	0.950	0.114	0.010	1.074
42	सुल्तानपुर	8.150	0.978	0.020	9.148
43	सोनभद्र	6.350	0.762	0.120	7.232
44	उन्नाव	8.750	1.050	0.290	10.090
45	वाराणसी	2.700	0.324	0.070	3.094
योग-		**273.850**	**32.860**	**6.120**	**312.830**

(रूपये तीन करोड़ बारह लाख तिरासी हजार मात्र)

(डा0 प्रहलाद बरनवाल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-74/2019/964/सैंतीस-2-2019-1(21)/12

प्रेषक,

डॉ0 सुधीर एम. बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
(संलग्न विवरणानुसार)
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-22 मई, 2019

विषयः- **पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जि.यो.) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 के पत्र सं0-06/सा0-1/एक्स-120(187)/जि.यो./2019-20, दिनांक-04.04.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जिला योजनान्तर्गत स्वीकृत 192 पशु चिकित्सा अधिकारियों के पदों के सापेक्ष कार्यरत पशु चिकित्सा अधिकारियों के 04 माह के वेतनादि के भुगतान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-06-पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जिला योजना) के अन्तर्गत निम्नलिखित मानक मदों में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष संलग्न जनपदवार विवरणानुसार रू0-312.83 लाख (रूपये तीन करोड़ बारह लाख तिरासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैः-

मानक मद	**स्वीकृत धनराशि (लाख में)**
01-वेतन	273.85
03-मंहगाई भत्ता	32.86
06-अन्य भत्ते	6.12
योग-	**312.83**

(रूपये तीन करोड़ बारह लाख तिरासी हजार मात्र)

1. चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु जिला योजनाओं के अन्तर्गत जनपदवार/योजनावार परिव्यय निर्धारण के उपरान्त उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि को आवंटित परिव्यय में समायोजित कराते हुए यथावश्यकता सम्बन्धित जनपदों की जिला योजना समिति का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय, यह सुनिश्चित किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा।
2. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं मदों में योजना हेतु निर्धारित गाइडलाईन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए ही किया जायेगा।
3. स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन/मद में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग/संबंधित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी का होगा।
4. किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में न जमा किया जाय तथा आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
6. वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता संबंधी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक-22.03.2019 में दिये गये निर्देशों तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दि0-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-06-पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जिला योजना) की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक-22.03.2019 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक - यथोक्त।

भवदीय,

(डॉ0 सुधीर एम. बोबडे)
प्रमुख सचिव।

<u>पृ0सं0-74/2019/964(1)/सैंतीस-2-2019- तद्दिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/जिलाधिकारी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 प्रहलाद बरनवाल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-74/2019/964/सैंतीस-2-2019-1(21)/12, दिनांक-22 मई, 2019 का संलग्नक:-

पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जिला योजना) (वर्ष 2019-20) (धनराशि लाख में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	01-वेतन	03-मंहगाई भत्ता	06-अन्य भत्ते	योग
1	2	3	4	5	6
1	अलीगढ़	15.000	1.800	0.850	17.650
2	प्रयागराज	2.000	0.240	0.050	2.290
3	औरैया	5.000	0.600	0.150	5.750
4	बलरामपुर	2.000	0.240	0.000	2.240
5	बलिया	5.000	0.600	0.080	5.680
6	बरेली	8.500	1.020	0.220	9.740
7	बस्ती	2.750	0.330	0.070	3.150
8	संत रविदास नगर	5.000	0.600	0.000	5.600
9	बिजनौर	2.800	0.336	0.010	3.146
10	बुलन्दशहर	5.250	0.630	0.120	6.000
11	चन्दौली	3.000	0.360	0.040	3.400
12	चित्रकूट	4.750	0.570	0.120	5.440
13	अमेठी	2.000	0.240	0.010	2.250
14	एटा	37.000	4.440	0.930	42.370
15	इटावा	2.250	0.270	0.010	2.530
16	फर्रूखाबाद	9.000	1.080	0.250	10.330
17	फतेहपुर	3.300	0.396	0.100	3.796
18	फिरोजाबाद	5.000	0.600	0.000	5.600
19	गौतमबुद्धनगर	3.000	0.360	0.000	3.360
20	गाजीपुर	14.000	1.680	0.400	16.080
21	गोरखपुर	3.600	0.432	0.010	4.042
22	हरदोई	13.500	1.620	0.440	15.560
23	हाथरस	14.200	1.704	0.010	15.914
24	अमरोहा	3.200	0.384	0.010	3.594

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

25	जौनपुर	2.200	0.264	0.060	2.524
26	कानपुर देहात	0.600	0.072	0.020	0.692
27	कासगंज	11.000	1.320	0.210	12.530
28	लखनऊ	2.250	0.270	0.010	2.530
29	महोबा	10.000	1.200	0.300	11.500
30	मैनपुरी	19.000	2.280	0.570	21.850
31	मथुरा	2.000	0.240	0.010	2.250
32	मऊ	2.200	0.264	0.100	2.564
33	मेरठ	4.000	0.480	0.200	4.680
34	मिर्जापुर	5.000	0.600	0.010	5.610
35	मुरादाबाद	2.350	0.280	0.140	2.770
36	मुजफ्फरनगर	1.800	0.216	0.010	2.026
37	रायबरेली	7.150	0.858	0.000	8.008
38	रामपुर	0.900	0.108	0.000	1.008
39	हमीरपुर	3.250	0.390	0.090	3.730
40	संतकबीरनगर	2.150	0.258	0.000	2.408
41	शाहजहांपुर	0.950	0.114	0.010	1.074
42	सुल्तानपुर	8.150	0.978	0.020	9.148
43	सोनभद्र	6.350	0.762	0.120	7.232
44	उन्नाव	8.750	1.050	0.290	10.090
45	वाराणसी	2.700	0.324	0.070	3.094
योग-		**273.850**	**32.860**	**6.120**	**312.830**

(रूपये तीन करोड़ बारह लाख तिरासी हजार मात्र)

(डा0 प्रहलाद बरनवाल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-74/2019/964/सैंतीस-2-2019-1(21)/12

प्रेषक,

डॉ0 सुधीर एम. बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
(संलग्न विवरणानुसार)
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-22 मई, 2019

विषयः- **पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जि.यो.) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 के पत्र सं0-06/सा0-1/एक्स-120(187)/जि.यो./2019-20, दिनांक-04.04.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जिला योजनान्तर्गत स्वीकृत 192 पशु चिकित्सा अधिकारियों के पदों के सापेक्ष कार्यरत पशु चिकित्सा अधिकारियों के 04 माह के वेतनादि के भुगतान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-06-पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जिला योजना) के अन्तर्गत निम्नलिखित मानक मदों में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष संलग्न जनपदवार विवरणानुसार रू0-312.83 लाख (रूपये तीन करोड़ बारह लाख तिरासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैः-

मानक मद	**स्वीकृत धनराशि (लाख में)**
01-वेतन	273.85
03-मंहगाई भत्ता	32.86
06-अन्य भत्ते	6.12
योग-	**312.83**

(रूपये तीन करोड़ बारह लाख तिरासी हजार मात्र)

1. चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु जिला योजनाओं के अन्तर्गत जनपदवार/योजनावार परिव्यय निर्धारण के उपरान्त उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि को आवंटित परिव्यय में समायोजित कराते हुए यथावश्यकता सम्बन्धित जनपदों की जिला योजना समिति का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय, यह सुनिश्चित किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा।
2. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं मदों में योजना हेतु निर्धारित गाइडलाईन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए ही किया जायेगा।
3. स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन/मद में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग/संबंधित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी का होगा।
4. किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में न जमा किया जाय तथा आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
6. वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता संबंधी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक-22.03.2019 में दिये गये निर्देशों तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दि0-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-06-पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जिला योजना) की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक-22.03.2019 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक - यथोक्त।

भवदीय,

(डॉ0 सुधीर एम. बोबडे)
प्रमुख सचिव।

<u>पृ0सं0-74/2019/964(1)/सैंतीस-2-2019- तद्दिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/जिलाधिकारी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 प्रहलाद बरनवाल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-74/2019/964/सैंतीस-2-2019-1(21)/12, दिनांक-22 मई, 2019 का संलग्नक:-

पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जिला योजना) (वर्ष 2019-20) (धनराशि लाख में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	01-वेतन	03-मंहगाई भत्ता	06-अन्य भत्ते	योग
1	2	3	4	5	6
1	अलीगढ़	15.000	1.800	0.850	17.650
2	प्रयागराज	2.000	0.240	0.050	2.290
3	औरैया	5.000	0.600	0.150	5.750
4	बलरामपुर	2.000	0.240	0.000	2.240
5	बलिया	5.000	0.600	0.080	5.680
6	बरेली	8.500	1.020	0.220	9.740
7	बस्ती	2.750	0.330	0.070	3.150
8	संत रविदास नगर	5.000	0.600	0.000	5.600
9	बिजनौर	2.800	0.336	0.010	3.146
10	बुलन्दशहर	5.250	0.630	0.120	6.000
11	चन्दौली	3.000	0.360	0.040	3.400
12	चित्रकूट	4.750	0.570	0.120	5.440
13	अमेठी	2.000	0.240	0.010	2.250
14	एटा	37.000	4.440	0.930	42.370
15	इटावा	2.250	0.270	0.010	2.530
16	फर्रूखाबाद	9.000	1.080	0.250	10.330
17	फतेहपुर	3.300	0.396	0.100	3.796
18	फिरोजाबाद	5.000	0.600	0.000	5.600
19	गौतमबुद्धनगर	3.000	0.360	0.000	3.360
20	गाजीपुर	14.000	1.680	0.400	16.080
21	गोरखपुर	3.600	0.432	0.010	4.042
22	हरदोई	13.500	1.620	0.440	15.560
23	हाथरस	14.200	1.704	0.010	15.914
24	अमरोहा	3.200	0.384	0.010	3.594

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

25	जौनपुर	2.200	0.264	0.060	2.524
26	कानपुर देहात	0.600	0.072	0.020	0.692
27	कासगंज	11.000	1.320	0.210	12.530
28	लखनऊ	2.250	0.270	0.010	2.530
29	महोबा	10.000	1.200	0.300	11.500
30	मैनपुरी	19.000	2.280	0.570	21.850
31	मथुरा	2.000	0.240	0.010	2.250
32	मऊ	2.200	0.264	0.100	2.564
33	मेरठ	4.000	0.480	0.200	4.680
34	मिर्जापुर	5.000	0.600	0.010	5.610
35	मुरादाबाद	2.350	0.280	0.140	2.770
36	मुजफ्फरनगर	1.800	0.216	0.010	2.026
37	रायबरेली	7.150	0.858	0.000	8.008
38	रामपुर	0.900	0.108	0.000	1.008
39	हमीरपुर	3.250	0.390	0.090	3.730
40	संतकबीरनगर	2.150	0.258	0.000	2.408
41	शाहजहांपुर	0.950	0.114	0.010	1.074
42	सुल्तानपुर	8.150	0.978	0.020	9.148
43	सोनभद्र	6.350	0.762	0.120	7.232
44	उन्नाव	8.750	1.050	0.290	10.090
45	वाराणसी	2.700	0.324	0.070	3.094
योग-		**273.850**	**32.860**	**6.120**	**312.830**

(रूपये तीन करोड़ बारह लाख तिरासी हजार मात्र)

(डा0 प्रहलाद बरनवाल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-74/2019/964/सैंतीस-2-2019-1(21)/12

प्रेषक,

डॉ0 सुधीर एम. बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
(संलग्न विवरणानुसार)
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-22 मई, 2019

विषयः- **पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जि.यो.) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 के पत्र सं0-06/सा0-1/एक्स-120(187)/जि.यो./2019-20, दिनांक-04.04.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जिला योजनान्तर्गत स्वीकृत 192 पशु चिकित्सा अधिकारियों के पदों के सापेक्ष कार्यरत पशु चिकित्सा अधिकारियों के 04 माह के वेतनादि के भुगतान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-06-पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जिला योजना) के अन्तर्गत निम्नलिखित मानक मदों में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष संलग्न जनपदवार विवरणानुसार रू0-312.83 लाख (रूपये तीन करोड़ बारह लाख तिरासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैः-

मानक मद	**स्वीकृत धनराशि (लाख में)**
01-वेतन	273.85
03-मंहगाई भत्ता	32.86
06-अन्य भत्ते	6.12
योग-	**312.83**

(रूपये तीन करोड़ बारह लाख तिरासी हजार मात्र)

1. चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु जिला योजनाओं के अन्तर्गत जनपदवार/योजनावार परिव्यय निर्धारण के उपरान्त उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि को आवंटित परिव्यय में समायोजित कराते हुए यथावश्यकता सम्बन्धित जनपदों की जिला योजना समिति का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय, यह सुनिश्चित किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा।
2. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं मदों में योजना हेतु निर्धारित गाइडलाईन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए ही किया जायेगा।
3. स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन/मद में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग/संबंधित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी का होगा।
4. किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में न जमा किया जाय तथा आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
6. वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता संबंधी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक-22.03.2019 में दिये गये निर्देशों तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दि0-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-06-पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जिला योजना) की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक-22.03.2019 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक - यथोक्त।

भवदीय,

(डॉ0 सुधीर एम. बोबडे)
प्रमुख सचिव।

<u>पृ0सं0-74/2019/964(1)/सैंतीस-2-2019- तद्दिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/जिलाधिकारी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 प्रहलाद बरनवाल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-74/2019/964/सैंतीस-2-2019-1(21)/12, दिनांक-22 मई, 2019 का संलग्नक:-

पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जिला योजना) (वर्ष 2019-20) (धनराशि लाख में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	01-वेतन	03-मंहगाई भत्ता	06-अन्य भत्ते	योग
1	2	3	4	5	6
1	अलीगढ़	15.000	1.800	0.850	17.650
2	प्रयागराज	2.000	0.240	0.050	2.290
3	औरैया	5.000	0.600	0.150	5.750
4	बलरामपुर	2.000	0.240	0.000	2.240
5	बलिया	5.000	0.600	0.080	5.680
6	बरेली	8.500	1.020	0.220	9.740
7	बस्ती	2.750	0.330	0.070	3.150
8	संत रविदास नगर	5.000	0.600	0.000	5.600
9	बिजनौर	2.800	0.336	0.010	3.146
10	बुलन्दशहर	5.250	0.630	0.120	6.000
11	चन्दौली	3.000	0.360	0.040	3.400
12	चित्रकूट	4.750	0.570	0.120	5.440
13	अमेठी	2.000	0.240	0.010	2.250
14	एटा	37.000	4.440	0.930	42.370
15	इटावा	2.250	0.270	0.010	2.530
16	फर्रूखाबाद	9.000	1.080	0.250	10.330
17	फतेहपुर	3.300	0.396	0.100	3.796
18	फिरोजाबाद	5.000	0.600	0.000	5.600
19	गौतमबुद्धनगर	3.000	0.360	0.000	3.360
20	गाजीपुर	14.000	1.680	0.400	16.080
21	गोरखपुर	3.600	0.432	0.010	4.042
22	हरदोई	13.500	1.620	0.440	15.560
23	हाथरस	14.200	1.704	0.010	15.914
24	अमरोहा	3.200	0.384	0.010	3.594

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

25	जौनपुर	2.200	0.264	0.060	2.524
26	कानपुर देहात	0.600	0.072	0.020	0.692
27	कासगंज	11.000	1.320	0.210	12.530
28	लखनऊ	2.250	0.270	0.010	2.530
29	महोबा	10.000	1.200	0.300	11.500
30	मैनपुरी	19.000	2.280	0.570	21.850
31	मथुरा	2.000	0.240	0.010	2.250
32	मऊ	2.200	0.264	0.100	2.564
33	मेरठ	4.000	0.480	0.200	4.680
34	मिर्जापुर	5.000	0.600	0.010	5.610
35	मुरादाबाद	2.350	0.280	0.140	2.770
36	मुजफ्फरनगर	1.800	0.216	0.010	2.026
37	रायबरेली	7.150	0.858	0.000	8.008
38	रामपुर	0.900	0.108	0.000	1.008
39	हमीरपुर	3.250	0.390	0.090	3.730
40	संतकबीरनगर	2.150	0.258	0.000	2.408
41	शाहजहांपुर	0.950	0.114	0.010	1.074
42	सुल्तानपुर	8.150	0.978	0.020	9.148
43	सोनभद्र	6.350	0.762	0.120	7.232
44	उन्नाव	8.750	1.050	0.290	10.090
45	वाराणसी	2.700	0.324	0.070	3.094
योग-		**273.850**	**32.860**	**6.120**	**312.830**

(रूपये तीन करोड़ बारह लाख तिरासी हजार मात्र)

(डा0 प्रहलाद बरनवाल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-74/2019/964/सैंतीस-2-2019-1(21)/12

प्रेषक,

डॉ0 सुधीर एम. बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
(संलग्न विवरणानुसार)
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-22 मई, 2019

विषयः- **पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जि.यो.) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 के पत्र सं0-06/सा0-1/एक्स-120(187)/जि.यो./2019-20, दिनांक-04.04.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जिला योजनान्तर्गत स्वीकृत 192 पशु चिकित्सा अधिकारियों के पदों के सापेक्ष कार्यरत पशु चिकित्सा अधिकारियों के 04 माह के वेतनादि के भुगतान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-06-पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जिला योजना) के अन्तर्गत निम्नलिखित मानक मदों में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष संलग्न जनपदवार विवरणानुसार रू0-312.83 लाख (रूपये तीन करोड़ बारह लाख तिरासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैः-

मानक मद	**स्वीकृत धनराशि (लाख में)**
01-वेतन	273.85
03-मंहगाई भत्ता	32.86
06-अन्य भत्ते	6.12
योग-	**312.83**

(रूपये तीन करोड़ बारह लाख तिरासी हजार मात्र)

1. चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु जिला योजनाओं के अन्तर्गत जनपदवार/योजनावार परिव्यय निर्धारण के उपरान्त उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि को आवंटित परिव्यय में समायोजित कराते हुए यथावश्यकता सम्बन्धित जनपदों की जिला योजना समिति का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय, यह सुनिश्चित किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा।
2. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं मदों में योजना हेतु निर्धारित गाइडलाईन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए ही किया जायेगा।
3. स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन/मद में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग/संबंधित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी का होगा।
4. किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में न जमा किया जाय तथा आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
6. वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता संबंधी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक-22.03.2019 में दिये गये निर्देशों तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दि0-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-06-पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जिला योजना) की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक-22.03.2019 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक - यथोक्त।

भवदीय,

(डॉ0 सुधीर एम. बोबडे)
प्रमुख सचिव।

<u>पृ0सं0-74/2019/964(1)/सैंतीस-2-2019- तद्दिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/जिलाधिकारी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 प्रहलाद बरनवाल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-74/2019/964/सैंतीस-2-2019-1(21)/12, दिनांक-22 मई, 2019 का संलग्नक:-

पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जिला योजना) (वर्ष 2019-20) (धनराशि लाख में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	01-वेतन	03-मंहगाई भत्ता	06-अन्य भत्ते	योग
1	2	3	4	5	6
1	अलीगढ़	15.000	1.800	0.850	17.650
2	प्रयागराज	2.000	0.240	0.050	2.290
3	औरैया	5.000	0.600	0.150	5.750
4	बलरामपुर	2.000	0.240	0.000	2.240
5	बलिया	5.000	0.600	0.080	5.680
6	बरेली	8.500	1.020	0.220	9.740
7	बस्ती	2.750	0.330	0.070	3.150
8	संत रविदास नगर	5.000	0.600	0.000	5.600
9	बिजनौर	2.800	0.336	0.010	3.146
10	बुलन्दशहर	5.250	0.630	0.120	6.000
11	चन्दौली	3.000	0.360	0.040	3.400
12	चित्रकूट	4.750	0.570	0.120	5.440
13	अमेठी	2.000	0.240	0.010	2.250
14	एटा	37.000	4.440	0.930	42.370
15	इटावा	2.250	0.270	0.010	2.530
16	फर्रूखाबाद	9.000	1.080	0.250	10.330
17	फतेहपुर	3.300	0.396	0.100	3.796
18	फिरोजाबाद	5.000	0.600	0.000	5.600
19	गौतमबुद्धनगर	3.000	0.360	0.000	3.360
20	गाजीपुर	14.000	1.680	0.400	16.080
21	गोरखपुर	3.600	0.432	0.010	4.042
22	हरदोई	13.500	1.620	0.440	15.560
23	हाथरस	14.200	1.704	0.010	15.914
24	अमरोहा	3.200	0.384	0.010	3.594

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

25	जौनपुर	2.200	0.264	0.060	2.524
26	कानपुर देहात	0.600	0.072	0.020	0.692
27	कासगंज	11.000	1.320	0.210	12.530
28	लखनऊ	2.250	0.270	0.010	2.530
29	महोबा	10.000	1.200	0.300	11.500
30	मैनपुरी	19.000	2.280	0.570	21.850
31	मथुरा	2.000	0.240	0.010	2.250
32	मऊ	2.200	0.264	0.100	2.564
33	मेरठ	4.000	0.480	0.200	4.680
34	मिर्जापुर	5.000	0.600	0.010	5.610
35	मुरादाबाद	2.350	0.280	0.140	2.770
36	मुजफ्फरनगर	1.800	0.216	0.010	2.026
37	रायबरेली	7.150	0.858	0.000	8.008
38	रामपुर	0.900	0.108	0.000	1.008
39	हमीरपुर	3.250	0.390	0.090	3.730
40	संतकबीरनगर	2.150	0.258	0.000	2.408
41	शाहजहांपुर	0.950	0.114	0.010	1.074
42	सुल्तानपुर	8.150	0.978	0.020	9.148
43	सोनभद्र	6.350	0.762	0.120	7.232
44	उन्नाव	8.750	1.050	0.290	10.090
45	वाराणसी	2.700	0.324	0.070	3.094
योग-		**273.850**	**32.860**	**6.120**	**312.830**

(रूपये तीन करोड़ बारह लाख तिरासी हजार मात्र)

(डा0 प्रहलाद बरनवाल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-74/2019/964/सैंतीस-2-2019-1(21)/12

प्रेषक,

डॉ0 सुधीर एम. बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
(संलग्न विवरणानुसार)
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-22 मई, 2019

विषयः- **पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जि.यो.) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 के पत्र सं0-06/सा0-1/एक्स-120(187)/जि.यो./2019-20, दिनांक-04.04.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जिला योजनान्तर्गत स्वीकृत 192 पशु चिकित्सा अधिकारियों के पदों के सापेक्ष कार्यरत पशु चिकित्सा अधिकारियों के 04 माह के वेतनादि के भुगतान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-06-पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जिला योजना) के अन्तर्गत निम्नलिखित मानक मदों में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष संलग्न जनपदवार विवरणानुसार रू0-312.83 लाख (रूपये तीन करोड़ बारह लाख तिरासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैः-

मानक मद	**स्वीकृत धनराशि (लाख में)**
01-वेतन	273.85
03-मंहगाई भत्ता	32.86
06-अन्य भत्ते	6.12
योग-	**312.83**

(रूपये तीन करोड़ बारह लाख तिरासी हजार मात्र)

1. चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु जिला योजनाओं के अन्तर्गत जनपदवार/योजनावार परिव्यय निर्धारण के उपरान्त उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि को आवंटित परिव्यय में समायोजित कराते हुए यथावश्यकता सम्बन्धित जनपदों की जिला योजना समिति का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय, यह सुनिश्चित किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा।
2. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं मदों में योजना हेतु निर्धारित गाइडलाईन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए ही किया जायेगा।
3. स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन/मद में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग/संबंधित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी का होगा।
4. किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में न जमा किया जाय तथा आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
6. वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता संबंधी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक-22.03.2019 में दिये गये निर्देशों तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दि0-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-06-पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जिला योजना) की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक-22.03.2019 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक - यथोक्त।

भवदीय,

(डॉ0 सुधीर एम. बोबडे)
प्रमुख सचिव।

<u>पृ0सं0-74/2019/964(1)/सैंतीस-2-2019- तद्दिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/जिलाधिकारी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 प्रहलाद बरनवाल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-74/2019/964/सैंतीस-2-2019-1(21)/12, दिनांक-22 मई, 2019 का संलग्नक:-

पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जिला योजना) (वर्ष 2019-20) (धनराशि लाख में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	01-वेतन	03-मंहगाई भत्ता	06-अन्य भत्ते	योग
1	2	3	4	5	6
1	अलीगढ़	15.000	1.800	0.850	17.650
2	प्रयागराज	2.000	0.240	0.050	2.290
3	औरैया	5.000	0.600	0.150	5.750
4	बलरामपुर	2.000	0.240	0.000	2.240
5	बलिया	5.000	0.600	0.080	5.680
6	बरेली	8.500	1.020	0.220	9.740
7	बस्ती	2.750	0.330	0.070	3.150
8	संत रविदास नगर	5.000	0.600	0.000	5.600
9	बिजनौर	2.800	0.336	0.010	3.146
10	बुलन्दशहर	5.250	0.630	0.120	6.000
11	चन्दौली	3.000	0.360	0.040	3.400
12	चित्रकूट	4.750	0.570	0.120	5.440
13	अमेठी	2.000	0.240	0.010	2.250
14	एटा	37.000	4.440	0.930	42.370
15	इटावा	2.250	0.270	0.010	2.530
16	फर्रूखाबाद	9.000	1.080	0.250	10.330
17	फतेहपुर	3.300	0.396	0.100	3.796
18	फिरोजाबाद	5.000	0.600	0.000	5.600
19	गौतमबुद्धनगर	3.000	0.360	0.000	3.360
20	गाजीपुर	14.000	1.680	0.400	16.080
21	गोरखपुर	3.600	0.432	0.010	4.042
22	हरदोई	13.500	1.620	0.440	15.560
23	हाथरस	14.200	1.704	0.010	15.914
24	अमरोहा	3.200	0.384	0.010	3.594

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

25	जौनपुर	2.200	0.264	0.060	2.524
26	कानपुर देहात	0.600	0.072	0.020	0.692
27	कासगंज	11.000	1.320	0.210	12.530
28	लखनऊ	2.250	0.270	0.010	2.530
29	महोबा	10.000	1.200	0.300	11.500
30	मैनपुरी	19.000	2.280	0.570	21.850
31	मथुरा	2.000	0.240	0.010	2.250
32	मऊ	2.200	0.264	0.100	2.564
33	मेरठ	4.000	0.480	0.200	4.680
34	मिर्जापुर	5.000	0.600	0.010	5.610
35	मुरादाबाद	2.350	0.280	0.140	2.770
36	मुजफ्फरनगर	1.800	0.216	0.010	2.026
37	रायबरेली	7.150	0.858	0.000	8.008
38	रामपुर	0.900	0.108	0.000	1.008
39	हमीरपुर	3.250	0.390	0.090	3.730
40	संतकबीरनगर	2.150	0.258	0.000	2.408
41	शाहजहांपुर	0.950	0.114	0.010	1.074
42	सुल्तानपुर	8.150	0.978	0.020	9.148
43	सोनभद्र	6.350	0.762	0.120	7.232
44	उन्नाव	8.750	1.050	0.290	10.090
45	वाराणसी	2.700	0.324	0.070	3.094
योग-		**273.850**	**32.860**	**6.120**	**312.830**

(रूपये तीन करोड़ बारह लाख तिरासी हजार मात्र)

(डा0 प्रहलाद बरनवाल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-74/2019/964/सैंतीस-2-2019-1(21)/12

प्रेषक,

डॉ0 सुधीर एम. बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
(संलग्न विवरणानुसार)
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-22 मई, 2019

विषयः- **पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जि.यो.) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 के पत्र सं0-06/सा0-1/एक्स-120(187)/जि.यो./2019-20, दिनांक-04.04.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जिला योजनान्तर्गत स्वीकृत 192 पशु चिकित्सा अधिकारियों के पदों के सापेक्ष कार्यरत पशु चिकित्सा अधिकारियों के 04 माह के वेतनादि के भुगतान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-06-पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जिला योजना) के अन्तर्गत निम्नलिखित मानक मदों में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष संलग्न जनपदवार विवरणानुसार रू0-312.83 लाख (रूपये तीन करोड़ बारह लाख तिरासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैः-

मानक मद	**स्वीकृत धनराशि (लाख में)**
01-वेतन	273.85
03-मंहगाई भत्ता	32.86
06-अन्य भत्ते	6.12
योग-	**312.83**

(रूपये तीन करोड़ बारह लाख तिरासी हजार मात्र)

1. चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु जिला योजनाओं के अन्तर्गत जनपदवार/योजनावार परिव्यय निर्धारण के उपरान्त उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि को आवंटित परिव्यय में समायोजित कराते हुए यथावश्यकता सम्बन्धित जनपदों की जिला योजना समिति का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय, यह सुनिश्चित किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा।
2. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं मदों में योजना हेतु निर्धारित गाइडलाईन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए ही किया जायेगा।
3. स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन/मद में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग/संबंधित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी का होगा।
4. किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में न जमा किया जाय तथा आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
6. वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता संबंधी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक-22.03.2019 में दिये गये निर्देशों तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दि0-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-06-पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जिला योजना) की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक-22.03.2019 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक - यथोक्त।

भवदीय,

(डॉ0 सुधीर एम. बोबडे)
प्रमुख सचिव।

<u>पृ0सं0-74/2019/964(1)/सैंतीस-2-2019- तद्दिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/जिलाधिकारी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 प्रहलाद बरनवाल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-74/2019/964/सैंतीस-2-2019-1(21)/12, दिनांक-22 मई, 2019 का संलग्नक:-

पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जिला योजना) (वर्ष 2019-20) (धनराशि लाख में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	01-वेतन	03-मंहगाई भत्ता	06-अन्य भत्ते	योग
1	2	3	4	5	6
1	अलीगढ़	15.000	1.800	0.850	17.650
2	प्रयागराज	2.000	0.240	0.050	2.290
3	औरैया	5.000	0.600	0.150	5.750
4	बलरामपुर	2.000	0.240	0.000	2.240
5	बलिया	5.000	0.600	0.080	5.680
6	बरेली	8.500	1.020	0.220	9.740
7	बस्ती	2.750	0.330	0.070	3.150
8	संत रविदास नगर	5.000	0.600	0.000	5.600
9	बिजनौर	2.800	0.336	0.010	3.146
10	बुलन्दशहर	5.250	0.630	0.120	6.000
11	चन्दौली	3.000	0.360	0.040	3.400
12	चित्रकूट	4.750	0.570	0.120	5.440
13	अमेठी	2.000	0.240	0.010	2.250
14	एटा	37.000	4.440	0.930	42.370
15	इटावा	2.250	0.270	0.010	2.530
16	फर्रूखाबाद	9.000	1.080	0.250	10.330
17	फतेहपुर	3.300	0.396	0.100	3.796
18	फिरोजाबाद	5.000	0.600	0.000	5.600
19	गौतमबुद्धनगर	3.000	0.360	0.000	3.360
20	गाजीपुर	14.000	1.680	0.400	16.080
21	गोरखपुर	3.600	0.432	0.010	4.042
22	हरदोई	13.500	1.620	0.440	15.560
23	हाथरस	14.200	1.704	0.010	15.914
24	अमरोहा	3.200	0.384	0.010	3.594

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

25	जौनपुर	2.200	0.264	0.060	2.524
26	कानपुर देहात	0.600	0.072	0.020	0.692
27	कासगंज	11.000	1.320	0.210	12.530
28	लखनऊ	2.250	0.270	0.010	2.530
29	महोबा	10.000	1.200	0.300	11.500
30	मैनपुरी	19.000	2.280	0.570	21.850
31	मथुरा	2.000	0.240	0.010	2.250
32	मऊ	2.200	0.264	0.100	2.564
33	मेरठ	4.000	0.480	0.200	4.680
34	मिर्जापुर	5.000	0.600	0.010	5.610
35	मुरादाबाद	2.350	0.280	0.140	2.770
36	मुजफ्फरनगर	1.800	0.216	0.010	2.026
37	रायबरेली	7.150	0.858	0.000	8.008
38	रामपुर	0.900	0.108	0.000	1.008
39	हमीरपुर	3.250	0.390	0.090	3.730
40	संतकबीरनगर	2.150	0.258	0.000	2.408
41	शाहजहांपुर	0.950	0.114	0.010	1.074
42	सुल्तानपुर	8.150	0.978	0.020	9.148
43	सोनभद्र	6.350	0.762	0.120	7.232
44	उन्नाव	8.750	1.050	0.290	10.090
45	वाराणसी	2.700	0.324	0.070	3.094
योग-		**273.850**	**32.860**	**6.120**	**312.830**

(रूपये तीन करोड़ बारह लाख तिरासी हजार मात्र)

(डा0 प्रहलाद बरनवाल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-74/2019/964/सैंतीस-2-2019-1(21)/12

प्रेषक,

डॉ0 सुधीर एम. बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
(संलग्न विवरणानुसार)
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-22 मई, 2019

विषयः- **पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जि.यो.) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 के पत्र सं0-06/सा0-1/एक्स-120(187)/जि.यो./2019-20, दिनांक-04.04.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जिला योजनान्तर्गत स्वीकृत 192 पशु चिकित्सा अधिकारियों के पदों के सापेक्ष कार्यरत पशु चिकित्सा अधिकारियों के 04 माह के वेतनादि के भुगतान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-06-पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जिला योजना) के अन्तर्गत निम्नलिखित मानक मदों में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष संलग्न जनपदवार विवरणानुसार रू0-312.83 लाख (रूपये तीन करोड़ बारह लाख तिरासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैः-

मानक मद	**स्वीकृत धनराशि (लाख में)**
01-वेतन	273.85
03-मंहगाई भत्ता	32.86
06-अन्य भत्ते	6.12
योग-	**312.83**

(रूपये तीन करोड़ बारह लाख तिरासी हजार मात्र)

1. चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु जिला योजनाओं के अन्तर्गत जनपदवार/योजनावार परिव्यय निर्धारण के उपरान्त उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि को आवंटित परिव्यय में समायोजित कराते हुए यथावश्यकता सम्बन्धित जनपदों की जिला योजना समिति का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय, यह सुनिश्चित किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा।
2. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं मदों में योजना हेतु निर्धारित गाइडलाईन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए ही किया जायेगा।
3. स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन/मद में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग/संबंधित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी का होगा।
4. किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में न जमा किया जाय तथा आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
6. वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता संबंधी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक-22.03.2019 में दिये गये निर्देशों तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दि0-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-06-पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जिला योजना) की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक-22.03.2019 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक - यथोक्त।

भवदीय,

(डॉ0 सुधीर एम. बोबडे)
प्रमुख सचिव।

<u>पृ0सं0-74/2019/964(1)/सैंतीस-2-2019- तद्दिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/जिलाधिकारी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 प्रहलाद बरनवाल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-74/2019/964/सैंतीस-2-2019-1(21)/12, दिनांक-22 मई, 2019 का संलग्नक:-

पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जिला योजना) (वर्ष 2019-20) (धनराशि लाख में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	01-वेतन	03-मंहगाई भत्ता	06-अन्य भत्ते	योग
1	2	3	4	5	6
1	अलीगढ़	15.000	1.800	0.850	17.650
2	प्रयागराज	2.000	0.240	0.050	2.290
3	औरैया	5.000	0.600	0.150	5.750
4	बलरामपुर	2.000	0.240	0.000	2.240
5	बलिया	5.000	0.600	0.080	5.680
6	बरेली	8.500	1.020	0.220	9.740
7	बस्ती	2.750	0.330	0.070	3.150
8	संत रविदास नगर	5.000	0.600	0.000	5.600
9	बिजनौर	2.800	0.336	0.010	3.146
10	बुलन्दशहर	5.250	0.630	0.120	6.000
11	चन्दौली	3.000	0.360	0.040	3.400
12	चित्रकूट	4.750	0.570	0.120	5.440
13	अमेठी	2.000	0.240	0.010	2.250
14	एटा	37.000	4.440	0.930	42.370
15	इटावा	2.250	0.270	0.010	2.530
16	फर्रूखाबाद	9.000	1.080	0.250	10.330
17	फतेहपुर	3.300	0.396	0.100	3.796
18	फिरोजाबाद	5.000	0.600	0.000	5.600
19	गौतमबुद्धनगर	3.000	0.360	0.000	3.360
20	गाजीपुर	14.000	1.680	0.400	16.080
21	गोरखपुर	3.600	0.432	0.010	4.042
22	हरदोई	13.500	1.620	0.440	15.560
23	हाथरस	14.200	1.704	0.010	15.914
24	अमरोहा	3.200	0.384	0.010	3.594

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

25	जौनपुर	2.200	0.264	0.060	2.524
26	कानपुर देहात	0.600	0.072	0.020	0.692
27	कासगंज	11.000	1.320	0.210	12.530
28	लखनऊ	2.250	0.270	0.010	2.530
29	महोबा	10.000	1.200	0.300	11.500
30	मैनपुरी	19.000	2.280	0.570	21.850
31	मथुरा	2.000	0.240	0.010	2.250
32	मऊ	2.200	0.264	0.100	2.564
33	मेरठ	4.000	0.480	0.200	4.680
34	मिर्जापुर	5.000	0.600	0.010	5.610
35	मुरादाबाद	2.350	0.280	0.140	2.770
36	मुजफ्फरनगर	1.800	0.216	0.010	2.026
37	रायबरेली	7.150	0.858	0.000	8.008
38	रामपुर	0.900	0.108	0.000	1.008
39	हमीरपुर	3.250	0.390	0.090	3.730
40	संतकबीरनगर	2.150	0.258	0.000	2.408
41	शाहजहांपुर	0.950	0.114	0.010	1.074
42	सुल्तानपुर	8.150	0.978	0.020	9.148
43	सोनभद्र	6.350	0.762	0.120	7.232
44	उन्नाव	8.750	1.050	0.290	10.090
45	वाराणसी	2.700	0.324	0.070	3.094
योग-		**273.850**	**32.860**	**6.120**	**312.830**

(रूपये तीन करोड़ बारह लाख तिरासी हजार मात्र)

(डा0 प्रहलाद बरनवाल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-74/2019/964/सैंतीस-2-2019-1(21)/12

प्रेषक,

डॉ0 सुधीर एम. बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
(संलग्न विवरणानुसार)
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-22 मई, 2019

विषयः- **पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जि.यो.) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 के पत्र सं0-06/सा0-1/एक्स-120(187)/जि.यो./2019-20, दिनांक-04.04.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जिला योजनान्तर्गत स्वीकृत 192 पशु चिकित्सा अधिकारियों के पदों के सापेक्ष कार्यरत पशु चिकित्सा अधिकारियों के 04 माह के वेतनादि के भुगतान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-06-पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जिला योजना) के अन्तर्गत निम्नलिखित मानक मदों में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष संलग्न जनपदवार विवरणानुसार रू0-312.83 लाख (रूपये तीन करोड़ बारह लाख तिरासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैः-

मानक मद	**स्वीकृत धनराशि (लाख में)**
01-वेतन	273.85
03-मंहगाई भत्ता	32.86
06-अन्य भत्ते	6.12
योग-	**312.83**

(रूपये तीन करोड़ बारह लाख तिरासी हजार मात्र)

1. चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु जिला योजनाओं के अन्तर्गत जनपदवार/योजनावार परिव्यय निर्धारण के उपरान्त उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि को आवंटित परिव्यय में समायोजित कराते हुए यथावश्यकता सम्बन्धित जनपदों की जिला योजना समिति का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय, यह सुनिश्चित किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा।
2. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं मदों में योजना हेतु निर्धारित गाइडलाईन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए ही किया जायेगा।
3. स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन/मद में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग/संबंधित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी का होगा।
4. किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में न जमा किया जाय तथा आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
6. वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता संबंधी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक-22.03.2019 में दिये गये निर्देशों तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दि0-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-06-पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जिला योजना) की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक-22.03.2019 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक - यथोक्त।

भवदीय,

(डॉ0 सुधीर एम. बोबडे)
प्रमुख सचिव।

<u>पृ0सं0-74/2019/964(1)/सैंतीस-2-2019- तद्दिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/जिलाधिकारी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 प्रहलाद बरनवाल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-74/2019/964/सैंतीस-2-2019-1(21)/12, दिनांक-22 मई, 2019 का संलग्नक:-

पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जिला योजना) (वर्ष 2019-20) (धनराशि लाख में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	01-वेतन	03-मंहगाई भत्ता	06-अन्य भत्ते	योग
1	2	3	4	5	6
1	अलीगढ़	15.000	1.800	0.850	17.650
2	प्रयागराज	2.000	0.240	0.050	2.290
3	औरैया	5.000	0.600	0.150	5.750
4	बलरामपुर	2.000	0.240	0.000	2.240
5	बलिया	5.000	0.600	0.080	5.680
6	बरेली	8.500	1.020	0.220	9.740
7	बस्ती	2.750	0.330	0.070	3.150
8	संत रविदास नगर	5.000	0.600	0.000	5.600
9	बिजनौर	2.800	0.336	0.010	3.146
10	बुलन्दशहर	5.250	0.630	0.120	6.000
11	चन्दौली	3.000	0.360	0.040	3.400
12	चित्रकूट	4.750	0.570	0.120	5.440
13	अमेठी	2.000	0.240	0.010	2.250
14	एटा	37.000	4.440	0.930	42.370
15	इटावा	2.250	0.270	0.010	2.530
16	फर्रूखाबाद	9.000	1.080	0.250	10.330
17	फतेहपुर	3.300	0.396	0.100	3.796
18	फिरोजाबाद	5.000	0.600	0.000	5.600
19	गौतमबुद्धनगर	3.000	0.360	0.000	3.360
20	गाजीपुर	14.000	1.680	0.400	16.080
21	गोरखपुर	3.600	0.432	0.010	4.042
22	हरदोई	13.500	1.620	0.440	15.560
23	हाथरस	14.200	1.704	0.010	15.914
24	अमरोहा	3.200	0.384	0.010	3.594

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

25	जौनपुर	2.200	0.264	0.060	2.524
26	कानपुर देहात	0.600	0.072	0.020	0.692
27	कासगंज	11.000	1.320	0.210	12.530
28	लखनऊ	2.250	0.270	0.010	2.530
29	महोबा	10.000	1.200	0.300	11.500
30	मैनपुरी	19.000	2.280	0.570	21.850
31	मथुरा	2.000	0.240	0.010	2.250
32	मऊ	2.200	0.264	0.100	2.564
33	मेरठ	4.000	0.480	0.200	4.680
34	मिर्जापुर	5.000	0.600	0.010	5.610
35	मुरादाबाद	2.350	0.280	0.140	2.770
36	मुजफ्फरनगर	1.800	0.216	0.010	2.026
37	रायबरेली	7.150	0.858	0.000	8.008
38	रामपुर	0.900	0.108	0.000	1.008
39	हमीरपुर	3.250	0.390	0.090	3.730
40	संतकबीरनगर	2.150	0.258	0.000	2.408
41	शाहजहांपुर	0.950	0.114	0.010	1.074
42	सुल्तानपुर	8.150	0.978	0.020	9.148
43	सोनभद्र	6.350	0.762	0.120	7.232
44	उन्नाव	8.750	1.050	0.290	10.090
45	वाराणसी	2.700	0.324	0.070	3.094
योग-		**273.850**	**32.860**	**6.120**	**312.830**

(रूपये तीन करोड़ बारह लाख तिरासी हजार मात्र)

(डा0 प्रहलाद बरनवाल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-74/2019/964/सैंतीस-2-2019-1(21)/12

प्रेषक,

डॉ0 सुधीर एम. बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
(संलग्न विवरणानुसार)
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-22 मई, 2019

विषयः- **पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जि.यो.) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 के पत्र सं0-06/सा0-1/एक्स-120(187)/जि.यो./2019-20, दिनांक-04.04.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जिला योजनान्तर्गत स्वीकृत 192 पशु चिकित्सा अधिकारियों के पदों के सापेक्ष कार्यरत पशु चिकित्सा अधिकारियों के 04 माह के वेतनादि के भुगतान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-06-पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जिला योजना) के अन्तर्गत निम्नलिखित मानक मदों में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष संलग्न जनपदवार विवरणानुसार रू0-312.83 लाख (रूपये तीन करोड़ बारह लाख तिरासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैः-

मानक मद	**स्वीकृत धनराशि (लाख में)**
01-वेतन	273.85
03-मंहगाई भत्ता	32.86
06-अन्य भत्ते	6.12
योग-	**312.83**

(रूपये तीन करोड़ बारह लाख तिरासी हजार मात्र)

1. चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु जिला योजनाओं के अन्तर्गत जनपदवार/योजनावार परिव्यय निर्धारण के उपरान्त उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि को आवंटित परिव्यय में समायोजित कराते हुए यथावश्यकता सम्बन्धित जनपदों की जिला योजना समिति का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय, यह सुनिश्चित किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा।
2. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं मदों में योजना हेतु निर्धारित गाइडलाईन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए ही किया जायेगा।
3. स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन/मद में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग/संबंधित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी का होगा।
4. किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में न जमा किया जाय तथा आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
6. वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता संबंधी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक-22.03.2019 में दिये गये निर्देशों तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दि0-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-06-पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जिला योजना) की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक-22.03.2019 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक - यथोक्त।

भवदीय,

(डॉ0 सुधीर एम. बोबडे)
प्रमुख सचिव।

<u>पृ0सं0-74/2019/964(1)/सैंतीस-2-2019- तद्दिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/जिलाधिकारी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 प्रहलाद बरनवाल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-74/2019/964/सैंतीस-2-2019-1(21)/12, दिनांक-22 मई, 2019 का संलग्नक:-

पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जिला योजना) (वर्ष 2019-20) (धनराशि लाख में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	01-वेतन	03-मंहगाई भत्ता	06-अन्य भत्ते	योग
1	2	3	4	5	6
1	अलीगढ़	15.000	1.800	0.850	17.650
2	प्रयागराज	2.000	0.240	0.050	2.290
3	औरैया	5.000	0.600	0.150	5.750
4	बलरामपुर	2.000	0.240	0.000	2.240
5	बलिया	5.000	0.600	0.080	5.680
6	बरेली	8.500	1.020	0.220	9.740
7	बस्ती	2.750	0.330	0.070	3.150
8	संत रविदास नगर	5.000	0.600	0.000	5.600
9	बिजनौर	2.800	0.336	0.010	3.146
10	बुलन्दशहर	5.250	0.630	0.120	6.000
11	चन्दौली	3.000	0.360	0.040	3.400
12	चित्रकूट	4.750	0.570	0.120	5.440
13	अमेठी	2.000	0.240	0.010	2.250
14	एटा	37.000	4.440	0.930	42.370
15	इटावा	2.250	0.270	0.010	2.530
16	फर्रूखाबाद	9.000	1.080	0.250	10.330
17	फतेहपुर	3.300	0.396	0.100	3.796
18	फिरोजाबाद	5.000	0.600	0.000	5.600
19	गौतमबुद्धनगर	3.000	0.360	0.000	3.360
20	गाजीपुर	14.000	1.680	0.400	16.080
21	गोरखपुर	3.600	0.432	0.010	4.042
22	हरदोई	13.500	1.620	0.440	15.560
23	हाथरस	14.200	1.704	0.010	15.914
24	अमरोहा	3.200	0.384	0.010	3.594

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

25	जौनपुर	2.200	0.264	0.060	2.524
26	कानपुर देहात	0.600	0.072	0.020	0.692
27	कासगंज	11.000	1.320	0.210	12.530
28	लखनऊ	2.250	0.270	0.010	2.530
29	महोबा	10.000	1.200	0.300	11.500
30	मैनपुरी	19.000	2.280	0.570	21.850
31	मथुरा	2.000	0.240	0.010	2.250
32	मऊ	2.200	0.264	0.100	2.564
33	मेरठ	4.000	0.480	0.200	4.680
34	मिर्जापुर	5.000	0.600	0.010	5.610
35	मुरादाबाद	2.350	0.280	0.140	2.770
36	मुजफ्फरनगर	1.800	0.216	0.010	2.026
37	रायबरेली	7.150	0.858	0.000	8.008
38	रामपुर	0.900	0.108	0.000	1.008
39	हमीरपुर	3.250	0.390	0.090	3.730
40	संतकबीरनगर	2.150	0.258	0.000	2.408
41	शाहजहांपुर	0.950	0.114	0.010	1.074
42	सुल्तानपुर	8.150	0.978	0.020	9.148
43	सोनभद्र	6.350	0.762	0.120	7.232
44	उन्नाव	8.750	1.050	0.290	10.090
45	वाराणसी	2.700	0.324	0.070	3.094
योग-		**273.850**	**32.860**	**6.120**	**312.830**

(रूपये तीन करोड़ बारह लाख तिरासी हजार मात्र)

(डा0 प्रहलाद बरनवाल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-74/2019/964/सैंतीस-2-2019-1(21)/12

प्रेषक,

डॉ0 सुधीर एम. बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
(संलग्न विवरणानुसार)
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-22 मई, 2019

विषयः- **पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जि.यो.) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 के पत्र सं0-06/सा0-1/एक्स-120(187)/जि.यो./2019-20, दिनांक-04.04.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जिला योजनान्तर्गत स्वीकृत 192 पशु चिकित्सा अधिकारियों के पदों के सापेक्ष कार्यरत पशु चिकित्सा अधिकारियों के 04 माह के वेतनादि के भुगतान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-06-पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जिला योजना) के अन्तर्गत निम्नलिखित मानक मदों में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष संलग्न जनपदवार विवरणानुसार रू0-312.83 लाख (रूपये तीन करोड़ बारह लाख तिरासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैः-

मानक मद	**स्वीकृत धनराशि (लाख में)**
01-वेतन	273.85
03-मंहगाई भत्ता	32.86
06-अन्य भत्ते	6.12
योग-	**312.83**

(रूपये तीन करोड़ बारह लाख तिरासी हजार मात्र)

1. चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु जिला योजनाओं के अन्तर्गत जनपदवार/योजनावार परिव्यय निर्धारण के उपरान्त उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि को आवंटित परिव्यय में समायोजित कराते हुए यथावश्यकता सम्बन्धित जनपदों की जिला योजना समिति का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय, यह सुनिश्चित किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा।
2. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं मदों में योजना हेतु निर्धारित गाइडलाईन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए ही किया जायेगा।
3. स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन/मद में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग/संबंधित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी का होगा।
4. किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में न जमा किया जाय तथा आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
6. वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता संबंधी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक-22.03.2019 में दिये गये निर्देशों तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दि0-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-06-पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जिला योजना) की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक-22.03.2019 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक - यथोक्त।

भवदीय,

(डॉ0 सुधीर एम. बोबडे)
प्रमुख सचिव।

<u>पृ0सं0-74/2019/964(1)/सैंतीस-2-2019- तद्दिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/जिलाधिकारी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 प्रहलाद बरनवाल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-74/2019/964/सैंतीस-2-2019-1(21)/12, दिनांक-22 मई, 2019 का संलग्नक:-

पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जिला योजना) (वर्ष 2019-20) (धनराशि लाख में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	01-वेतन	03-मंहगाई भत्ता	06-अन्य भत्ते	योग
1	2	3	4	5	6
1	अलीगढ़	15.000	1.800	0.850	17.650
2	प्रयागराज	2.000	0.240	0.050	2.290
3	औरैया	5.000	0.600	0.150	5.750
4	बलरामपुर	2.000	0.240	0.000	2.240
5	बलिया	5.000	0.600	0.080	5.680
6	बरेली	8.500	1.020	0.220	9.740
7	बस्ती	2.750	0.330	0.070	3.150
8	संत रविदास नगर	5.000	0.600	0.000	5.600
9	बिजनौर	2.800	0.336	0.010	3.146
10	बुलन्दशहर	5.250	0.630	0.120	6.000
11	चन्दौली	3.000	0.360	0.040	3.400
12	चित्रकूट	4.750	0.570	0.120	5.440
13	अमेठी	2.000	0.240	0.010	2.250
14	एटा	37.000	4.440	0.930	42.370
15	इटावा	2.250	0.270	0.010	2.530
16	फर्रूखाबाद	9.000	1.080	0.250	10.330
17	फतेहपुर	3.300	0.396	0.100	3.796
18	फिरोजाबाद	5.000	0.600	0.000	5.600
19	गौतमबुद्धनगर	3.000	0.360	0.000	3.360
20	गाजीपुर	14.000	1.680	0.400	16.080
21	गोरखपुर	3.600	0.432	0.010	4.042
22	हरदोई	13.500	1.620	0.440	15.560
23	हाथरस	14.200	1.704	0.010	15.914
24	अमरोहा	3.200	0.384	0.010	3.594

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

25	जौनपुर	2.200	0.264	0.060	2.524
26	कानपुर देहात	0.600	0.072	0.020	0.692
27	कासगंज	11.000	1.320	0.210	12.530
28	लखनऊ	2.250	0.270	0.010	2.530
29	महोबा	10.000	1.200	0.300	11.500
30	मैनपुरी	19.000	2.280	0.570	21.850
31	मथुरा	2.000	0.240	0.010	2.250
32	मऊ	2.200	0.264	0.100	2.564
33	मेरठ	4.000	0.480	0.200	4.680
34	मिर्जापुर	5.000	0.600	0.010	5.610
35	मुरादाबाद	2.350	0.280	0.140	2.770
36	मुजफ्फरनगर	1.800	0.216	0.010	2.026
37	रायबरेली	7.150	0.858	0.000	8.008
38	रामपुर	0.900	0.108	0.000	1.008
39	हमीरपुर	3.250	0.390	0.090	3.730
40	संतकबीरनगर	2.150	0.258	0.000	2.408
41	शाहजहांपुर	0.950	0.114	0.010	1.074
42	सुल्तानपुर	8.150	0.978	0.020	9.148
43	सोनभद्र	6.350	0.762	0.120	7.232
44	उन्नाव	8.750	1.050	0.290	10.090
45	वाराणसी	2.700	0.324	0.070	3.094
योग-		**273.850**	**32.860**	**6.120**	**312.830**

(रूपये तीन करोड़ बारह लाख तिरासी हजार मात्र)

(डा0 प्रहलाद बरनवाल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।